प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 499/2022

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनाँक 26.09.2025

निर्णय पारित करने का दिनाँक 15.10.2025

श्रवण चौहान, पिता स्व. धनलाल चौहान, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम छिछोर उमरिया, थाना पुसौर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।

...अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, थाना पुसौर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ ।

...प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

{वाद शीर्षक,जैसे कि वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है}

अपीलार्थी की ओर से	: श्री रूप राम नायक, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से	: श्रीमती प्रभा शर्मा, राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता।

{माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी}

सी.ए.वी. निर्णय

1. यह दाण्डिक अपील, अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अब से, द.प्र.सं.) की धारा 374 (2) के अधीन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 23/2021 में दिनांक 26.02.2022 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ख के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और उसे सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि रायवती चौहान (अब मृतिका) का विवाह दिनाँक 09.04.2017 को उनके रीति–रिवाजों के अनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त के साथ संपन्न हुआ था। दिनांक 11.07.2020 को सुबह लगभग 11 बजे, चूल्हे पर खाना बनाते समय उसकी पहनी हुई साड़ी में आग लग गई और वह झुलस गई, जिसे अपीलार्थी द्वारा बुझाया गया। इस दौरान अपीलार्थी की हथेली

भी कुछ हद तक जल गई। अपीलार्थी उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र , पुसौर, जिला रायगढ़ ले गया, जहाँ डॉ. रजनी नायक (अ.सा.–8) ने उसका परीक्षण किया। उन्होंने एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी–6) में यह अभिमत दिया कि शरीर से मिट्टीतेल की गंध आ रही थी और शरीर लगभग 80%–85% तक जल चुका था। चिकित्सक ने उसे उच्च केंद्र रेफर कर दिया, जिसके बाद उसे के.जी.एच./डॉ. लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (संक्षिप्त में के.जी.एच. अस्पताल) में भर्ती कराया गया। इसकी सूचना अस्पताल मेमो (प्रदर्श पी–28) के माध्यम से सिटी कोतवाली, रायगढ़ को दी गई। पुलिस से प्राप्त अनुरोध (प्रदर्श पी–7) के आधार पर, नायब तहसीलदार विक्रान्त सिंह राठौड़ (अ.सा.–9) ने उसका मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी–8) अभिलिखित किया। उपरोक्त चिकित्सा महाविद्यालय में उपचार के दौरान दिनांक 16.07.2020 को उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना अस्पताल द्वारा मेमो (प्रदर्श पी–27) के माध्यम से सिटी कोतवाली को दी गई। इसके आधार पर बिना नंबर का मर्ग रिपोर्ट (प्रदर्श पी–22) दर्ज किया गया।

2.1 मर्ग जांच के दौरान, नायब तहसीलदार रुचिका अग्रवाल द्वारा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्र.पी.–2) तैयार किया गया। मृतिका के शरीर का शवपरीक्षण डॉ. एस. लकड़ा (अ.सा.–17) द्वारा (प्र.पी.–23)के माध्यम से किया गया, जिसमें उन्होंने अभिमत दिया कि मृतिका का शरीर सतही और गहरे स्तर पर 72% से 82% तक जल चुका था और मृत्यु का कारण सेप्टीसीमिया और दाह क्षति के कारण आंतरिक अंगों का विफल होना था। उन्होंने आगे यह अभिमत दिया कि मृत्यु की प्रकृति का निर्धारण विवेचना के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर किया जा सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2.2 थाना पुसौर में दर्ज बिना नंबर के मर्ग डायरी के आधार पर, सहायक उप–निरीक्षक सुरेंद्र कुमार वर्मा (अ.सा.–14) द्वारा नंबरी मर्ग रिपोर्ट (प्र.पी.–12) दर्ज की गई। प्रधान आरक्षक केशव प्रसाद (अ.सा.–12) ने मृतिका के मायके वालों और अन्य साक्षियों के कथन अभिलिखित किए, जिसमें उन्होंने प्रकट किया कि अपीलार्थी मोटरसाइकिल खरीदने के लिए अपने माता–पिता से पैसे लाने की बात कहकर मृतिका को प्रताड़ित करता था। मर्ग जांच के बाद, अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.–10) दर्ज की गई। अपीलार्थी को दिनाँक 15.10.2020 को गिरफ्तारी मेमो (प्र.पी.–17) के माध्यम से गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा मृतिका और अपीलार्थी का विवाह कार्ड (वस्तु ए –1) भी प्राप्त किया गया।

2.3 सामान्य विवेचना के उपरांत, अपीलार्थी के विरुद्ध संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–ख के अधीन अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ के न्यायालय में उपार्पित किया, जहाँ से विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (विचारण न्यायालय) ने यह प्रकरण विचारण हेतु अतंरण पर प्राप्त किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–ख के अधीन आरोप विरचित किए, जिसे अपीलार्थी ने अस्वीकार किया और विचारण चाहा।

3. अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए, अभियोजन ने कुल 19 साक्षियों का परीक्षण किया और विवाह कार्ड (वस्तु ए–1) के साथ 28 दस्तावेज़ प्रस्तुत किए। अपीलार्थी/अभियुक्त का कथन द.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य में अपने विरुद्ध प्रतीत समस्त परिस्थितियों से इनकार किया, स्वयं को निर्दोष बताया और झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया। उसने अपने बचाव के समर्थन में तीन साक्षियों का परीक्षण कराया।

4. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना करने के उपरांत, दिनाँक 26.02.2022 के अपने निर्णय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–ख के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उसे सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया। इसके विरुद्ध, अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत कर उक्त निर्णय को चुनौती दी गई है।

5. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि मृतिका के माता–पिता और भाई ने अपने अभिकथन में स्वयं स्वीकार किया है कि अपीलार्थी द्वारा मृतिका की अच्छी तरह से देखभाल की जाती थी। यहाँ तक कि अपीलार्थी अपनी मृतिका–पत्नी के साथ लगभग छह माह तक अपने ससुराल में भी रहा था। किंतु केवल सतही तौर पर मृतिका की माँ और भाई ने अपने अभिकथन में कहा है कि अपीलार्थी मोटरसाइकिल खरीदने के लिए अपने माता–पिता से पैसे लाने की बात कहकर मृतिका को तंग किया करता था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि इस तथ्य का समर्थन मृतिका के पिता द्वारा भी नहीं किया गया है, बल्कि उनके (मृतिका के पिता) और अन्य साक्षियों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि कुछ अवसरों पर पीड़िता ने स्वयं अपने पिता से केवल 1,000–2,000 रुपये की मांग की थी, जो पिता और पुत्री के बीच एक सामान्य बात है। अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि यद्यपि किसी साधारण बात के कारण उनके बीच विवाद हुआ था, जिसके चलते मृतिका अपीलार्थी का साथ छोड़कर अपने मायके में रहने लगी थी, किंतु अपीलार्थी स्वयं उसके मायके गया और वहां लगभग 6 माह रहा। बाद में एक बैठक में समझाए जाने पर, वे दोनों वापस अपीलार्थी के घर आ गए थे। यह भी तर्क किया गया कि नायब तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट– विक्रम सिंह राठौड़ (अ.सा.–9) द्वारा अभिलिखित मृत्युकालिक कथन (प्र.पी.– 8) स्वयं अपीलार्थी पर लगाए गए आरोपों के विपरीत है। इसके बावजूद, बिना किसी वैध और प्रभावी साक्ष्य के, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को कथित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है, जो कि विकृत और अवैध है। अतः उन्होंने प्रार्थना की है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अपास्त कर अपील स्वीकार की जाए और अपीलार्थी को विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि आक्षेपित निर्णय साक्ष्यों के उचित विवेचना पर आधारित है, इसलिए इस न्यायालय द्वारा इसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः, यह अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना, उनके द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया और विचारण न्यायालय के अभिलेख का अत्यंत सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया।

8. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और प्रथम सूचना प्रतिवेदन के साथ–साथ अन्य दस्तावेजों, जैसे कि विवाह कार्ड (वस्तु ए–1), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुसौर द्वारा पुसौर थाने को भेजे गए अस्पताल मेमो (प्र.पी.–15), डॉ. रजनी नायक (अ.सा.–8) द्वारा तैयार की गई पीड़िता की एमएलसी रिपोर्ट (प्र.पी.–6), वार्ड बॉय कमलेश कुमार मेश्राम (अ.सा.–18) और वार्ड बॉय केशव प्रसाद जायसवाल (अ.सा.–19) द्वारा तैयार किए गए अस्पताल मेमो क्रमशः (प्र.पी.–27) और (प्र.पी.–28) (जिसमें दिनाँक 11.07.2020 को मृतिका के जलने की स्थिति में भर्ती होने और दिनाँक 16.07.2020 को उसकी मृत्यु से संबंधित सूचना के.जी.एच. अस्पताल, रायगढ़ द्वारा भेजी गई थी और जिसके आधार पर बिना नंबर का मर्ग रिपोर्ट (प्र.पी.–22) दर्ज किया गया था, मृतिका का मृत्यु समीक्षा (प्र.पी.–2) और शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्र.पी.–23) जिसे डॉ. एस. लकड़ा (अ.सा.–17) द्वारा संचालित एवं साबित किया गया, तथा मृतिका के पिता अर्जुन चौहान (अ.सा.–1), भाई शिवप्रसाद चौहान (अ.सा.–2) और माँ सोनकुँवर चौहान (अ.सा.–5) के अभिकथनों से, विचारण न्यायालय द्वारा यह उचित रुप से अभिनिर्धारित किया गया है कि मृतिका की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्षों के भीतर हुई है, क्योंकि उसका विवाह दिनाँक 09.04.2017 को संपन्न हुआ था जबकि उसकी मृत्यु दिनाँक 16.07.2020 को उक्त दुर्घटना में दाह क्षति के कारण हुई थी, और इस प्रकार उसकी मृत्यु अप्राकृतिक थी। विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित यह निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की विवेचना पर आधारित एक तथ्यात्मक निष्कर्ष है, इसलिए,एतद्द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अपीलार्थी के विरुद्ध दहेज मृत्यु का आरोप विरचित किया गया है, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ख के अधीन दंडनीय बनाया गया है, जो निम्नानुसार है:—

> "304 ख. दहेज मृत्यु– (1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था वहां ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "दहेज" का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा।"

10. दहेज मृत्यु के अपराध को साबित करने के लिए जिन आवश्यक घटकों को साबित करना आवश्यक है, वे निम्नानुसार हैं:

(i) मृत्यु अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई हो।

(ii) मृत्यु मृतिका के विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई हो।

(iii) यह दर्शित किया जाना आवश्यक है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113–ख 'दहेज मृत्यु' के प्रकरणों में अभियुक्त के विरुद्ध उपधारणा का प्रावधान करती है, जो निम्नानुसार है:—

113 ख. दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा – जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए "दहेज मृत्यु" का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख में है।

12. न्यायदृष्टांतों की एक लंबी श्रृंखला में, और हाल ही में **करण सिंह विरुद्ध हरियाणा राज्य** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में भी, माननीय न्यायाधिपतिगण ने यह दोहराया है कि धारा 113–ख के अधीन उपधारणा तब लागू होगी जब यह स्थापित हो जाए कि उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व, अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग के लिए,या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था। इसलिए, धारा 113–ख को आकृष्ट करने के लिए भी, अभियोजन को यह स्थापित करना होगा कि मृतिका को उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व अपीलार्थी द्वारा या दहेज की किसी मांग के संबंध में क्रूरता की गई थी या तंग किया गया था। जब तक इन तथ्यों को साबित नहीं किया जाता, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113–ख के अधीन उपधारणाओं को लागू नहीं किया जा सकता।

13. वर्तमान प्रकरण में, चूंकि मृतिका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर उसे लगी दाह क्षति के कारण हुई थी, अतः उसकी मृत्यु अप्राकृतिक है। किंतु जहाँ तक उन परिस्थितियों का प्रश्न है जिनमें उसे दाह क्षति हुई और क्या मृत्यु से कुछ पूर्व अपीलार्थी द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई थी या उसे तंग किया गया था, तो उसके पिता अर्जुन चौहान (अ.सा.–1), भाई शिव प्रसाद चौहान (अ.सा.–2) और माँ सोनकुंवर चौहान (अ.सा.–5) ने अपने अभिकथनों में कहा है कि विवाह के चार माह बाद तक मृतिका और अपीलार्थी ठीक से रहे, उसके बाद उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गया। मृतिका के भाई (अ.सा.–2) और माँ (अ.सा.–5) ने अभिकथन किया है कि अपीलार्थी ने मृतिका को मोटरसाइकिल खरीदने के लिए अपने माता–पिता से पैसे लाने हेतु प्रताड़ित किया था, परंतु इस तथ्य को मृतिका के पिता अर्जुन चौहान (अ.सा.–1) से समर्थन प्राप्त नहीं होता है। हालाँकि, नेहरू चौहान (अ.सा.–4) ने भी उपरोक्त तथ्य, अर्थात् अपीलार्थी द्वारा मोटरसाइकिल की मांग का समर्थन किया है, लेकिन उनके अनुसार, वह तथ्य उन्हें उनके छोटे भाई अर्जुन चौहान (अ.सा.–1) द्वारा बताया गया था, जिन्होंने स्वयं अपने अभिकथन में उस तथ्य का समर्थन नहीं किया है।

14. मृतिका के पिता, भाई और माँ ने अपने अभिकथन में स्वयं यह स्वीकार किया है कि विवाह के समय अपीलार्थी द्वारा कोई मांग नहीं की गई थी। उपरोक्त साक्षियों के साथ–साथ हिमांशु चौहान (अ.सा.–3) और नेहरू चौहान (अ.सा.–4) ने भी यह कथन किया है कि मृतिका और अपीलार्थी के बीच उत्पन्न विवाद के संबंध में एक सामाजिक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उन्हें समझाने–बुझाने पर मृतिका अपीलार्थी के साथ अपनी ससुराल चली गई थी। लेकिन इनमें से किसी भी साक्षी ने अपने अभिकथन में यह नहीं कहा है कि उस सामाजिक बैठक में मृतिका द्वारा ऐसी कोई शिकायत की गई थी कि अपीलार्थी उसे अपने माता–पिता से पैसे और मोटरसाइकिल की मांग के संबंध में तंग करता था।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गरिमा द्विवेदी (अ.सा.–15), इस प्रकरण की विवेचना अधिकारी हैं। उन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 12 में यह स्वीकार किया है कि प्रकरण को विवेचना हेतु प्राप्त करने के पश्चात, उन्होंने मृतिका के पिता अर्जुन चौहान (अ.सा.–1), भाई शिव प्रसाद चौहान (अ.सा.–2) और माँ सोनकुंवर चौहान (अ.सा.–5) तथा अन्य साक्षियों के अभिकथन का अवलोकन किया था, जिनमें उन्होंने अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा मोटरसाइकिल की मांग के संबंध में किसी भी तथ्य का उल्लेख नहीं किया था। यद्यपि, उन्होंने कथन किया है कि पीड़िता के पिता ने इस संबंध में शिकायत की थी, लेकिन अभियोग–पत्र के साथ ऐसी कोई लिखित शिकायत आदि प्रस्तुत नहीं की गई है। इस तथ्य को मृतिका के पिता अर्जुन चौहान (अ.सा.–1) के अभिकथन से भी समर्थन नहीं मिलता है। इस प्रकार, चूंकि अपीलार्थी ने विवाह के समय कोई मांग नहीं की थी, और जैसा कि विवेचना अधिकारी गरिमा द्विवेदी (अ.सा.–15) ने स्वीकार किया है कि मृतिका के माता–पिता और अन्य साक्षियों ने अपने मर्ग कथनों में अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी से मोटरसाइकिल की मांग के बारे में कुछ भी प्रकट नहीं किया था, और इस तथ्य को उसके पिता के अभिकथन से भी समर्थन नहीं मिलता है। मृतिका ने स्वयं भी कथित सामाजिक बैठक में उपरोक्त तथ्य के बारे में कोई शिकायत नहीं की थी, इसलिए मृतिका के भाई

(अ.सा.–2) और माँ (अ.सा.–5) के कमजोर और निराधार कथन के आधार पर यह सिद्ध नहीं माना जा सकता कि मोटरसाइकिल की मांग के संबंध में अपीलार्थी द्वारा मृतिका के साथ क्रूरता की गई थी या उसे तंग किया गया था।

16. अर्जुन चौहान (अ.सा.–1) ने अपने अभिकथन में कहा है कि मृतिका कभी–कभी उनसे 1,000/– रुपये या 500/– रुपये की मांग करती थी और घटना से एक दिन पहले भी उसने फोन पर उनसे 1,000/– रुपये मांगे थे, जिसे मृतिका के भाई (अ.सा.–2) और माँ (अ.सा.–5) के अभिकथनों से भी समर्थन मिलता है, लेकिन उन्होंने यह कथन नहीं किया है कि अपीलार्थी ने उक्त रुपयों की मांग की थी या मृतिका ने उन्हें बताया था कि उपरोक्त राशि की मांग अपीलार्थी द्वारा की गई है। उभय पक्षकार बहुत ही निम्न आर्थिक स्तर से आते हैं और हिमांशु चौहान (अ.सा.–3) के अभिकथनानुसार, अपीलार्थी एक श्रमिक है, इसलिए एक पुत्री द्वारा अपने पिता से कभी–कभी 1,000/– से 2,000/– रुपये जैसी छोटी राशि की मांग करना एक स्वाभाविक घटना है। यह नहीं माना जा सकता कि वह पैसा पति द्वारा मांगा गया था, क्योंकि इस प्रकरण में यह भी साबित नहीं हुआ है कि मृतिका द्वारा अपने पिता से कभी–कभी मांगे जाने वाले कथित पैसे की अंततः अपीलार्थी ने मांग की थी। अतः, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह साबित नहीं होता है कि उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व अपीलार्थी द्वारा मृतिका के साथ क्रूरता की गई थी या तंग किया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

17. जहाँ तक मृतिका की अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित परिस्थितियों का प्रश्न है, प्रदर्श पी–8 मृतिका का मृत्युकालिक कथन है, जिसे नायब तहसीलदार विक्रांत सिंह राठौर (अ.सा.–9) द्वारा अभिलिखित किया गया था, जिन्होंने उस दस्तावेज़ को सिद्ध किया है। इस साक्षी ने अपने अभिकथन में कहा है कि जब उन्होंने मृतिका से दाह क्षति के कारण के संबंध में पूछा, तो उसने बताया था कि दिनाँक 11.07.2020 को सुबह लगभग 11 बजे चूल्हे में आग जलाते समय वह जल गई थी। उन्होंने आगे कथन किया है कि यह पूछे जाने पर कि क्या उसे किसी ने जलाया है, मृतिका ने 'नकारात्मक' (नहीं में) उत्तर दिया। इस साक्षी ने आगे अभिकथन किया है कि चूंकि मृतिका के दोनों हाथों में पट्टी बंधी थी, इसलिए उन्होंने सहायक उप–निरीक्षक की सहायता से उसके हस्ताक्षर के रूप में उसके बाएं पैर के अंगूठे का निशान लिया था। उपरोक्त तथ्य का समर्थन मृतिका के मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी–8) से भी होता है। यद्यपि मृतिका के मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी–8) में चिकित्सक का ऐसा कोई पृष्ठांकन नहीं किया गया है कि क्या वह बयान देने में सक्षम थी, लेकिन उसकी मृत्यु घटना की तारीख से लगभग 4 दिन बाद हुई थी, जिस दौरान उसके माता–पिता और अन्य नातेदार भी वहां पहुंच गए थे। परंतु, उनमें से किसी ने भी यह कथन नहीं किया है कि मृतिका उस दिन बेहोश थी या वह अपना कथन देने में सक्षम नहीं थी, बल्कि मृतिका के पिता (अ.सा.–1) और भाई (अ.सा.–2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि चूंकि मृतिका जल गई थी, इसलिए उन्हें संदेह था कि उसे किसी ने जलाया होगा, लेकिन उसने (मृतिका ने) अस्पताल में दाह क्षति के बारे में हमें कुछ नहीं बताया था।

18. इस प्रकार, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से, यद्यपि यह सिद्ध पाया जाता है कि मृतिका की मृत्यु का कारण दाह क्षति के चलते अप्राकृतिक था, किंतु अभियोजन उस तथ्य को साबित करने में असफल रहा है कि वे परिस्थितियाँ, जिनमें उसे दाह क्षति हुई, अप्राकृतिक थीं; बल्कि मृतिका के मृत्युकालिक कथन से यह सिद्ध पाया जाता है कि चूल्हे पर खाना बनाते समय, उसके द्वारा पहनी गई साड़ी ने चूल्हे की आग पकड़ ली थी और वह 72% से 82% की सीमा तक सतही और गहरे रूप से जल गई थी।

19. परदेशी चौहान (ब.सा.–3), जो अपीलार्थी के पड़ोसी हैं, ने अपने अभिकथन में कहा है कि अपीलार्थी के घर से चीखें सुनकर जब वह अपने घर से बाहर निकले, तो उन्होंने अपीलार्थी को तालाब से नहाकर आते हुए देखा और उसे अपने घर की ओर दौड़ने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने उसके घर से चीखने की आवाज़ सुनी थी। इसके पश्चात, अपीलार्थी अपने घर पहुँचा और अपनी जलती हुई पत्नी की आग बुझाई और उसे तुरंत अस्पताल ले गया। उस घटना में अपीलार्थी को भी दाह क्षति हुई थीं।

20. प्रधान आरक्षक– केशव प्रसाद (अ.सा.–12) ने अपने प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 5 में यह कथन किया है कि परदेशी चौहान (ब.सा.–3) ने अपने मर्ग कथन में उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख किया था। सहायक उप–निरीक्षक सुरेंद्र कुमार वर्मा (अ.सा.–14) ने अपने अभिकथन में कहा है कि दिनाँक 11.07.2020 को, जब मृतिका को जलने की स्थिति में उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पुसौर लाया गया था, तब थाने में प्राप्त सूचना पर उन्होंने मृतिका के चिकित्सीय परीक्षण के लिए आवेदन तैयार किया था, जो उस समय जीवित थी, और साथ ही अपीलार्थी के लिए भी, क्योंकि उस घटना में उन दोनों को ही दाह क्षति हुई थीं। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षण में आगे यह स्वीकार किया कि रायवती (जो उस समय पीड़िता थी) ने उन्हें बताया था कि खाना बनाते समय वह जल गई थी और अपीलार्थी द्वारा उसके शरीर की आग बुझाते समय अपीलार्थी के भी दोनों हाथ जल गए थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

21. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पुसौर के डॉ. कालेश्वर प्रसाद राठिया (ब.सा.–1) ने दिनाँक 11.07.2020 को अपीलार्थी का परीक्षण किया था, जिसमें एम.एल.सी. रिपोर्ट (प्रदर्श डी–1) के अनुसार, उन्होंने अपना अभिमत दिया कि अपीलार्थी के बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से और उंगलियों तथा दाहिने सीने और बाएं कंधे पर 5% तक दाह क्षति थीं।

22. इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह सिद्ध पाया जाता है कि चूल्हे पर खाना बनाते समय मृतिका द्वारा पहनी गई साड़ी ने चूल्हे की आग पकड़ ली थी और उसे दाह क्षति हुई। उस समय, अपीलार्थी तालाब से नहाकर आ रहा था और घटना की सूचना मिलने पर वह तुरंत अपने घर की ओर दौड़ा और अपनी जलती हुई पत्नी की आग बुझाई, जिस दौरान उसके हाथ, सीने और बाएं कंधे पर भी दाह क्षति हुई। अतः, अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात, यह स्थापित होता है कि मृतिका की मृत्यु का कारण दुर्घटनाजन्य था।

23. उपरोक्त विवेचना को दृष्टिगत रखते हुए, यह पाया जाता है कि अभियोजन यह साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि मृतिका की मृत्यु 'दहेज मृत्यु' की कोटि में आता है, किंतु विद्वान विचारण

न्यायालय ने मात्र दुर्बल और अविश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी को 'दहेज मृत्यु' के आरोप का दोषी ठहराया, जो कि तथ्यों के विपरीत और अवैध है, अतः यह संधारणीय नहीं है।

24. इस प्रकार, यह न्यायालय इस प्रकरण को भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ख के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि को सुरक्षित रखने हेतु अनुपयुक्त मानता है। इसलिए, पूर्वगामी कारणों से, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)द्वारा दिनांक 26.02.2022 को पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

25. अपीलार्थी के जमानत पर होने की सूचना है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481 में निहित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए उसके जमानत बंधपत्र आगामी छह माह की अवधि तक प्रभावशील रहेंगे।

26. इस निर्णय की प्रति, विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ, अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई हेतु अविलंब प्रतिप्रेषित की जाए।

सही/–

(नरेश कुमार चंद्रवंशी)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**